न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41 / 2017 जिला सीकर

1. शंकर लाल पुत्र स्व. श्री गणपत, जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
2. सीताराम पुत्र स्व. श्री सुरजमल , जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ।
3. श्रीमति संतोष देवी जरिये सरपंच ग्रम पंचायत लाखनी, तहसील खण्डेला जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

4. सुरजी देवी पत्नी स्व. गणपत , जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
5. मदन लाल पुत्र स्व. गणपत , जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
6. जगदेव पुत्र स्व. गणपत , जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
7. भागीरथ पुत्र स्व. श्री जोधाराम , जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
8. जगदीश स्व. श्री जोधाराम जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
9. रामकुंवार पुत्र स्व. श्री जोधाराम, जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
10. चावली देवी पत्नी स्व. श्री सुरजमल, जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
11. मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री सुरजमल, जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
12. मुरलीधर पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (फौत) (नाम हज्फ)

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर

दिनांक 12.5.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विजय सिंह राठौड एवं श्री सी.पी.बलाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक –18.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.5.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 28.8.2017 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1103 , के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार खण्डेला ने पत्र क्रमांकः भू.अ. /2016/200 दिनांक 19.1.2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने दिनांक 12.5.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार खण्डेला को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे ।

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्रम	खसरा नं.	रकबा
1	लाखनी	लाखनी	1103	0.03

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 12.5.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं

अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय 12.5.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों एवं प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स की पैतृक एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म बारानी वाके ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला, जिला सीकर में स्थिति है । अपीलान्ट्स के खसरा नम्बर में कभी भी कोई रास्ता सार्वजनिक रूप से नहीं रहा और ना ही उक्त रकबे में से 0.03 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग उपभोग में आई । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुने केवल तहसीलदार खण्डेला की वास्तविक स्थिति के विपरीत मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 1103 के बटा नम्बर कायम कर 1103/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर को गैर मुमकीन रास्ते में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.5.2017 पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया है जबकि धारा 131 व 132 में स्पष्टतः प्रावधित है कि प्रभावित पक्ष को सुना जाना आज्ञापक है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित करने में उक्त प्रावधानों की अवहेलना की है । विवादित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट्स के उपयोग उपभोग में आ रही है जिसमें कभी कोई रास्ता नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है । तहसीलदार खण्डेला की वास्तविक तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 12.5.2017 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में से रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है एवं आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिससे होकर आमजन आवागमन करता है एवं सार्वजनिक आवागमन के रूप में चालू है । मौके पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आने एवं रास्ता प्रचलित व पुराना होने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के आधार पर तहसीलदार खण्डेला ने उप खण्ड अधिकारी को उक्त खसरा नम्बर में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप दर्ज किये जाने की अभिशंषा की थी , जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने गैरमुमकीन

रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखेते हुये अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.03 में से अपीलान्ट्स को बिना सुने एवं विधिवत नोटिस दिये बिना मात्र तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा दिनांक 12.5.2017 को पारित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर की जमाबन्दी संवत 2072–2074 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.3600 के खातेदार सुरजी देवी पत्नी गणपत, मदन लाल, शंकर लाल, जगदीश पि. गणपत हि. 1/10, भागीरथ, जगदीश, रामकुंवार पि. जोधाराम हि. 3/10, चावली देवी पत्नी सुरजमल, सीताराम, मुकेश कुमार पि. सुरजमल हि. 1/10, राहित पी.एन.बी. शाखा बावडी मूर्तहीन मुरलीधर पुत्र कालूराम हि. 1/2 राहित एस.के.एस.बी. शाखा रींगस मूर्तहीन कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार होने से हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है। अतः अपीलान्ट हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति होने एवं प्रकरण के गुणावगुण एवं अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. तथा धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर की अभिशंषा के आधार पर खातेदारों की भूमि में से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है । अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम लाखनी के खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.03 हैक्टेयर में से उन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । अपीलान्ट्स प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है जिन्हें बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । ऐसी स्थिति में ग्रम लाखनी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के खसरा नम्बर 1103 में अपीलान्ट्स की खातदोरी भूमि की हद तक अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 12.5.2017 निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हें अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के

परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 12.5.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम लाखनी के खसरा नम्बर 1103 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. संभागीय आयुक्त

जयपुर